न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0–27 सन् 2019

हरेन्द्र सिंह.........................वादी

बनाम

पवन सिंह वो अन्य............प्रतिवादीगण

दिनांक– 19.01.2022

प्रतिवादी सं0 01 की ओर से हाजिरी दी गई है। वादी अनुपस्थित हैं। उचित पैरवी करें। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0 01 की ओर से बयान तहरीरी स्वीकार करने के लिए दाखिल आवेदन दिनांक 21.10.2020 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रतिवादी सं0 01 की ओर से आवेदन में कथन है कि वादी ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध बंटवारा हेतु दाखिल किया है। प्रतिवादी सं0 01 न्यायालय में हाजिर हो चुके हैं। प्रतिवादी सं0 01 को कुछ जरूरी कागजात विलंब से प्राप्त हुआ जिसके कारण उनके द्वारा बयान तहरीरी समय पर दायर नहीं किया जा सका। बयान तहरीरी समय से दाखिल नहीं होने के कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 23.12.2019 को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित कर दिया गया। अतः निवेदन है कि दिनांक 23.12.2019 के आदेश को रिकॉल करते हुए प्रतिवादी सं0 01 के बयान तहरीरी को स्वीकृत किया जाए।

वादी की ओर से उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 01 दिनांक 26.08.2019 को

हाजिर हो चुके हैं। परंतु उनके द्वारा कोई भी बयान तहरीरी दाखिल नहीं करने के कारण दिनांक 23.12.2019 को पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात् बयान तहरीरी दाखिल करने से उन्हें वंचित कर दिया गया। इसके पश्चात् प्रतिवादी सं0 01 की ओर से यह रिकॉल आवेदन दाखिल किया गया है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 01 को संघर्ष करने हेतु अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी सं0 01 की ओर से दाखिल रिकॉल आवेदन वो बयान तहरीरी को स्वीकृत करने हेतु किया गया निवेदन को न्यायहित में 500/—रूपये खर्चा के साथ स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादी सं0 01 को निर्देश दिया जाता है कि वे खर्च की राशि नजारत में दाखिल कर उचित पैरवी करें।

वाद दिनांक 06.04.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।